-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :-12 / 2020

उनवान

1. प्रयाग सिंह
2. विजय सिंह
3. दलपत सिंह
4. वृजराज सिंह पुत्रगण उदय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

——— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

:- आदेश :- दिनांक :- 10/9/24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कि ग्राम व प0 म0 बूबानिया तहसील नसीराबाद में स्थित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
3017 / 3130 / 1	42-19-0	898	4.20

आराजी मुतनाजा के वर्किंग खसरा नम्बर 3017 / 3130 / 1 रकबा 42-19-0 की आराजी प्रार्थीगण के पिता उदय सिंह की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 898 रकबा 4.20 की आराजी पर प्रार्थीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा के वर्तमान राजस्व मानचित्र में बिना किसी कारण परिवर्तन कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 898 का रकबा 4.20 है0 से कम करते हुये 3.16 है0 ही कर दिया है। तथा हाल खसरा नम्बर 896 के रकबे को बढा दिया है। प्रार्थीगण द्वारा हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती [illegible] रहा है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्ती करने [illegible] पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को [illegible] राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 [illegible]र के तर्कों पर मनन किया। ग्राम व प0म0 बूबानिया तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 896 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:49 IST
Reason: SelfAttested

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

20.35 व 898 रकबा 4.20 की आराजरी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 898 के साबिक खसरा नम्बर 3017/3130/1 व हाल खसरा नम्बर 896 के साबिक खसरा नम्बर 3025, 3020, 3017 व 3017/3130/1 बने है। खसरा नम्बर 896 व 898 के रकबे में राजस्व मानचित्र में परिवर्तन कर दिया है। खसरा नम्बर 898 का रकबा कम व खसरा नम्बर 896 का रकबा अधिक कर दिया है। उक्त त्रुटी राजस्व मानचित्र देखने पर भी स्पष्ट होती है। खसरा नम्बर 898 व 896 प्रार्थीगण की खातेदारी में ही है। जिसे दुरूस्त करने से अप्रार्थी अथवा अन्य व्यक्ति के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेख अनुसार वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 898 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 896 व 898 के रकबे की जॉच कर पायी गयी त्रुटी को राजस्व मानचित्र में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:49 IST
Reason: SelfAttested